International Journal of Social Science Research (IJSSR)
Volume- 3, Issue- 1 | January - February 2026 ISSN: 3048-9490

वर्तमान परिवर्तनशील सामाजिक परिदृश्य में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधान एजेंसी के रूप में पुलिस के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण

दिग्विजय सिंह सिकरवार
सहायक प्राध्यापक, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी (म.प्र.)

शोध सारांश :-

किसी भी देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की सफलता में ही विधि के शासन, लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों की सफलता निहित होती है। आपराधिक विधिशास्त्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अनुसंधान विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित होना चाहिए। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 और 21 में निहित संवैधानिक अधिशेष के भी अनुरूप है कि अनुसंधान इस तरह से किया जाना चाहिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अनुसंधान करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्तियों के मध्य एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जा सके। अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाली आपराधिक न्याय प्रणाली की एजेंसी अनुसंधान एजेंसी अर्थात पुलिस होती है इसलिए आपराधिक न्यायतंत्र में पुलिस की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है। इस शोधपत्र का प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधान एजेंसी के रूप में पुलिस प्रशासन की भूमिका का अध्ययन करने के साथ-साथ अनुसंधान के विधिक दायित्व निर्वहन में आने वाली समस्याओं, बाधाओं और चुनौतियों का परीक्षण करना भी है। अपराधों के निवारण, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपराधिक मामलों के अनुसंधान में पुलिस प्रशासन के कार्य-निष्पादन की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित करना भी इस शोध अध्ययन का केंद्रीय विषय है।

मुख्य शब्द :- आपराधिक न्याय प्रणाली, पुलिस; अनुसंधान; चुनौतियां

भूमिका :-

अनुसंधान एजेंसी अर्थात् पुलिस, अभियोजन न्यायपालिका और जेल अर्थात् सुधारात्मक संस्थान आपराधिक न्याय प्रणाली के मूलभूत घटक हैं। भारत ने आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए विरोधाभासात्मक प्रणाली या प्रतिकूल प्रणाली (adversarial system) को अपनाया है जिसमें आपराधिक मामलों का अनुसंधान करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। औपनिवेशिक युग से भारतीय पुलिस का आधुनिक इतिहास प्रारम्भ होता है। भारतीय पुलिस की स्थापना 1861 में ब्रिटिशर्स द्वारा की गई थी और यह उनके अपने पुलिस बल पर आधारित थी जिसमें उस समय पुलिस के प्रमुख विधिक कर्तव्यों में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना और ब्रिटिश हितों की रक्षा करना सम्मिलित था। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारतीय पुलिस का पुनर्गठन किया गया। इन दिनों प्रत्येक राज्य का अपना पुलिस बल है और देश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य सूची का विषय होकर राज्यों के अधीन आती हैं। अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाली आपराधिक न्याय प्रणाली की एजेंसी अनुसंधान एजेंसी अर्थात पुलिस होती है इसलिए आपराधिक न्यायतंत्र में पुलिस की भूमिका

*Corresponding Author Email: singhsikarwardigvijay@gmail.com
Published: 24 February 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/IJSSR.2026.v3.i1.30852
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

किसी भी देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की सफलता में ही विधि के शासन, लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों की सफलता निहित होती है। अपराधों का निवारण और नियंत्रण, लोकशांति एवं लोकव्यवस्था को बनाए रखना, पीड़ितों और अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, दोषसिद्ध अपराधियों को दंडित कर पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना आपराधिक न्याय प्रणाली के लक्ष्यों में शामिल हैं। इन सभी लक्ष्यों को भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य कर्तव्यों के रूप में रेखांकित किया गया है।

पुलिस, अभियोजन, न्यायालय और जेल मुख्य आधिकारिक आपराधिक न्याय एजेंसियां हैं। इन सभी आपराधिक न्याय एजेंसियों की संगठनात्मक संरचना, प्रबंधन और संचालन संघीय कानून जैसे भारतीय दंड संहिता,1860 (अब वर्तमान स्थिति में भारतीय न्याय संहिता,2023) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब वर्तमान स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023), भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 (अब वर्तमान स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023), पुलिस अधिनियम तथा जेल अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। हालांकि पुलिस और जेल संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित संस्थाएं होकर राज्य का विषय हैं।

शोध अध्ययन का उद्देश्य : -

शोधपत्र का प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधान एजेंसी के रूप में पुलिस प्रशासन की भूमिका का अध्ययन करना एवं अनुसंधान के विधिक दायित्व निर्वहन में समस्याओं, बाधाओं और चुनौतियों का परीक्षण करना भी है। अपराधों के निवारण, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपराधिक मामलों के अनुसंधान में पुलिस प्रशासन के कार्य-निष्पादन की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित करना भी इस शोध अध्ययन का केंद्रीय विषय है।

शोध अध्ययन पद्धति :-

आपराधिक न्याय प्रणाली की सर्वप्रथम संपर्क में आने वाली विधि प्रवर्तन एजेंसी के रूप में पुलिस प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए तथा पुलिस प्रशासकों के सामने आने वाली संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक चुनौतियों, प्रभावशीलता और कार्यनिष्पादन क्षमता की अभिवृद्धि हेतु सुझाव प्रस्तावित करने की दृष्टि से इस शोधपत्र में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्णनात्मक शोध पद्धति को नियोजित किया गया है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधान एजेंसी (पुलिस) की भूमिका :-

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग होने के चलते अनुसंधान एजेंसी अर्थात् पुलिस की भूमिका मुख्यतः चार क्षेत्रों में होती है :-

1. **अपराध का निवारण –** अपराधों को कारित होने या घटित होने से रोकना भारतीय पुलिस का विधिक दायित्व है। संभावित अपराधियों को देखकर, पहचानकर, उन्हें चिन्हित कर अपराधों को कारित होने से रोकने अर्थात् निवारित करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करना होती है। आपराधिक गतिविधि को हतोत्साहित करने के लिए, पुलिस नियमित आधार पर अपने विशेष क्षेत्राधिकारों की निगरानी भी करती है। समुदाय के साथ मिलकर सहयोग करने के साथ-साथ पुलिस संभावित खतरों की पहचान भी करती है और निवारक उपाय करती है।

2. अपराध का अनुसंधान (अन्वेषण) - आपराधिक मामलों का अनुसंधान भारतीय पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस अपराधस्थल का दौरा कर कारित अपराध के संबंध में जानकारी एकत्र करके साक्षियों (गवाहों) से

पूछताछ कर उनके बयान लेकर और संभावित दोषियों की पहचान करके अनुसंधान के इस दायित्व को पूरा करती है। इसके अलावा पुलिस अपराधों को सुलझाने के लिए साक्ष्य हासिल करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपलिंग एनालिसिस जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करती है।

3. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना - समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना भारतीय पुलिस का विधिक दायित्व है। इसके अतिरिक्त पुलिस को यातायात नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने की देखरेख का कार्य भी करना होता है कि कानून का पालन किया जाए। विरोध और प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था का भी नियंत्रण और सुरक्षा की जाती है।

4. मानवाधिकारों का संरक्षण – पुलिस नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा की देखरेख और संरक्षण का दायित्व भी निभाती है। व्यक्तियों से उनके लिंग, जाति वर्ग या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाये यह सुनिश्चित करना भी पुलिस की भूमिका में आता है। पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक शोषण के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाये।

निष्पक्ष अनुसंधान (अन्वेषण) : संवैधानिक अधिदेश एवं विधि के शासन की न्यूनतम आवश्यकता :-

एक प्रभावी परीक्षण (विचारण) के लिए निष्पक्ष अनुसंधान पूर्व-आवश्यकता है। अनुसंधान निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई में भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 और 21 द्वारा परिकल्पित निष्पक्ष अनुसंधान भी सम्मिलित है। यदि अनुसंधान प्रभावी, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण नहीं है तो फिर विचारण से सत्य की खोज की दिशा में कुछ भी उल्लेखनीय परिणाम नहीं निकल सकता है। हमारे देश में अनुसंधान पर पक्षपातपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और एकतरफा होने के आरोप अक्सर लगाए जाते रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पाल विरुद्ध भारत संघ (2016) 1 SCC 441 के केस में अनुसंधान के निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण, प्रभावी और वस्तुनिष्ठ होने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि यह अनुसंधान एजेंसी की जवाबदेही है कि वह दूषित और अनुचित तरीके से अनुसंधान संचालित न करे। दोषियों की समाज में स्थिति और प्रभाव से प्रभावित हुए बिना उन्हें कानून के कटघरे में लाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विधि के समक्ष सब समान हैं।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्मल सिंह कहलोन विरुद्ध पंजाब राज्य (2009) 1 SCC 441 के केस में यह संप्रेक्षण दिया है कि एक अभियुक्त निष्पक्ष अनुसंधान का अधिकार रखता है। निष्पक्ष अनुसंधान और निष्पक्ष विचारण भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत अभियुक्त के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सहवर्ती हैं। राज्य का महनीय दायित्व है कि वह कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखे तथा समाज में शांति और सदभाव अक्षुण्ण रखे। इस प्रकार किसी अपराध का पीड़ित व्यक्ति भी निष्पक्ष अनुसंधान का समान रूप से अधिकार रखता है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली मानव जीवन के लिए मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा को उच्चतम स्थान पर रखती है। भारतीय न्यायशास्त्र में एक अभियुक्त को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने की उपधारणा है। कथित अभियुक्त निष्पक्ष अनुसंधान और निष्पक्ष विचारण का अधिकार रखता है। अभियोजन पक्ष से भी अपराध के अभियोजन में संतुलित भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। आपराधिक विधिशास्त्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अनुसंधान विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित होना चाहिए। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 और 21 में निहित संवैधानिक अधिशेष के भी अनुरूप है कि अनुसंधान इस तरह से किया जाना चाहिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अनुसंधान करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्तियों के मध्य एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जा सके।

चार्जशीट एक अनुसंधान का परिणाम होती है। यदि अनुसंधान निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया है तो इस तरह का

दूषित अनुसंधान एक वैध आरोपपत्र को जन्म नहीं दे सकता। इस तरह का अनुसंधान अंततः आपराधिक न्याय की गंभीर हानि की ओर अग्रसर होता है। न केवल निष्पक्ष सुनवाई बल्कि निष्पक्ष अनुसंधान भी संविधान के आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा हैं। इसलिए अनुसंधान निष्पक्ष, पारदर्शी और विवेकपूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि यह विधि के शासन की भी न्यूनतम आवश्यकता है।

अनुसंधान एजेंसी अर्थात् पुलिस के समक्ष वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण :-

आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधान एजेंसी अर्थात् पुलिस के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियां निम्नानुसार हैं :-

1. पुलिस कार्मिकों की कमी एवं अत्यधिक कार्यभार :-

1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का विचार था कि एक औसत अनुसंधान अधिकारी को प्रतिवर्ष लगभग 122 मामलों को संभालना पड़ता है। यह अनुसंधान भार किसी भी उचित दक्षता के साथ वहन करने के लिए बहुत अधिक है। अनुसंधान एक कठिन और व्यावहारिक कार्य है तथा एक पुलिस अधिकारी के लिए एक वर्ष में 75 से अधिक मामलों का अनुसंधान करना संभव नहीं है। विषम कर्तव्यों और विभिन्न विधिक दायित्वों में प्रतिबद्धताओं के कारण पुलिस अधिकारी मामलों के अनुसंधान पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1,00,000 की आबादी पर 155 पुलिस कार्मिकों का है, जो कि पुलिस कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 197 से काफ़ी कम है। पुलिस कार्मिकों की स्वीकृत संख्या और नियुक्त संख्या में इस अंतर का दूरगामी परिणाम यह है कि इससे आपराधिक मामलों के अनुसंधान में अधिक समय लगता है, अपराध निवारण अर्थात अपराध रोकने के प्रयास विफल होते हैं, और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस कार्यबल की संख्या कम होने और कार्यभार अधिक होने का दुष्परिणाम यह होता है कि अत्यधिक दवाब में कार्य करने वाले पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों को अधिकांशतः हत्या, बलात्कार, साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर अपराधों में से किसी ना किसी प्रकरण से समझौता कर किसी दूसरे अपराधिक प्रकरण को प्राथमिकता देनी पड़ती है। परिणामस्वरूप लंबित अनुसंधानों का बैकलॉग बढ़ता है। प्रकरणों का सम्यक एवं प्रभावी अनुसंधान ना हो पाने के कारण न्यायालय में अनिश्चित निर्णय होने के साथ-साथ अनसुलझे अपराधों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है और आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता और सार्थकता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

2. फोरेंसिक लैब्स की क्षमता संबंधी चुनौतियां :-

देश में एक तरफ़ आपराधिक प्रकरणों के फोरेंसिक विश्लेषण की माँग तीव्रता से बढ़ रही है. नवीन आपराधिक विधियों के सुधार ने इस दिशा में फोरेंसिक विश्लेषण को और अधिक प्रोत्साहित किया है, वहीं दूसरी ओर देश में फोरेंसिक लैब्स क्षमता संबंधी गंभीर कमियों और विसंगतियों का सामना कर रहीं हैं। कई फोरेंसिक लैब्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट और फोरेंसिक विशेषज्ञ स्टाफ की कमी से जूझ रही हैं। फोरेंसिक लैब्स के पास उपलब्ध सीमित संसाधन आपराधिक प्रकरणों के बैकलॉग बढ़ने का कारण बन रहे हैं। रीजनल फोरेंसिक लैब्स की कमी के चलते महत्वपूर्ण साक्ष्यों को राज्य स्तरीय फोरेंसिक लैब्स में भेजना पड़ता है जहां पहले से ही फोरेंसिक विश्लेषण का कार्यभार अत्यधिक है, इससे फोरेंसिक परीक्षण में देरी होती है और अनुसंधान एवं विचारण में लगने वाला समय और भी बढ़ जाता है।

3. पुलिस स्टेशनों पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता तथा अधोसंरचना एवं आवश्यक संसाधनों की कमी :-

बेहतर पुलिस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों को सुलभ एवं संसाधनयुक्त बनाना राज्य

का मूलभूत दायित्व है। पुलिस स्टेशन सामान्यतः अपराधों एवं हिंसा से पीड़ित आम-जनमानस के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था के प्रवेश-द्वार होते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 में उल्लिखित किया गया है कि 2017 से 2023 तक के आंकड़ों से यह रेखांकित होता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के पुलिस स्टेशनों को व्यापक क्षेत्र में अधिक संख्या में लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करानी पड़ रहीं हैं। एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन पर जनवरी 2017 में औसतन 83,000 लोगों का भार था तो वहीं 2023 में यह भार अब लगभग 01 लाख तक पहुंच गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में हर पुलिस स्टेशन पर 2017 में औसत जनसंख्या का जो भार 74,000 था, वह 2023 में बढ़कर 93,000 हो गया है।

4. प्रशिक्षण की कमी :-

देश में आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान के लिए के लिए पुलिस का प्रशिक्षण अपर्याप्त एवं गुणवत्ताविहीन है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2025 के अनुसार 2020-21 से 2021-22 के मध्य पुलिस प्रशिक्षण बजट में लगभग 9% की वृद्धि हुई है, लेकिन उपयोग 84% से घटकर 73% हो गया है। प्रति पुलिसकर्मी राष्ट्रीय औसत 9,000 रुपये से घटकर 8,000 रुपये हो गया है। कुल पुलिस बजट का केवल 1.25% ही प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया गया है।

5. भ्रष्टाचार :–

देश में पुलिस के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक भ्रष्टाचार है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए रिश्वत लेना या अवैध गतिविधि में सम्मिलित होना आपराधिक न्याय प्रणाली को असामान्य एवं प्रतिकूल रीति से दुष्प्रभावित करता है।

6. राजनीतिक हस्तक्षेप :-

देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाली पुलिस के कार्य-निष्पादन के तरीके में राजनीतिक हस्तक्षेप है। इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अक्सर पुलिस बल का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाता है, जिससे अनुसंधान अभिकरण के रूप में पुलिस की स्वतंत्रता कमजोर हो जाती है।

7. संसाधनों की कमी :–

देश के पुलिस प्रशासन को कुशल अनुसंधान करने के लिए दिन प्रति दिन का कठिन संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास समकालीन तकनीकों एवं आवश्यक संसाधनों की कमी है।

8. कम दोषसिद्धि दर :–

आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि की दर कम है, जो कानूनी प्रणाली में विश्वास की कमी को रेखांकित करती है। कई कारण कम दोषसिद्धि दर में योगदान करते हैं, जैसे अप्रभावी एवं दूषित अनुसंधान और अप्रभावी अभियोजन

9. पुलिस विभाग में पुलिस कार्मिकों को अनावश्यक और अनुचित उद्देश्यों के लिए कार्यवितरण :-

पुलिस विभाग में पुलिस कार्मिकों को अनावश्यक और अनुचित उद्देश्यों के लिए लगाये जाने एवं कार्यवितरण में गंभीर विसंगतियों एवं अनियमितताओं के कारण पुलिस स्टेशन में कर्मचारियों की कमी की स्थिति और अधिक घातक हो जाती है। पुलिस आम जनता के साथ सीधे संपर्क में आती है और किसी भी तात्कालिकता पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की पहली जवाबदेही पुलिस प्रशासन की ही होती है। पुलिस को कई स्वयंभू राजनेताओं के सुरक्षा गार्ड के रूप में

उपलब्ध कराया जाता है जो स्टेटस वैल्यू के लिए इन्हें रखते हैं। पुलिस के पास बड़ी संख्या में कर्तव्य होते हैं जैसे- अनुसंधान ड्यूटी, अपराध नियंत्रण, गश्त ड्यूटी, यातायात ड्यूटी, सुरक्षा कर्तव्य, कोर्ट पेशी ड्यूटी और कई अन्यान्य कर्तव्य। एक ओर पुलिस प्रशासन को इन सब कार्यों के लिए पुलिस कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं दूसरी ओर कई पुलिस कार्मिकों को अनुचित कार्यवितरण के माध्यम से ग़ैर-उत्पादक, अवांछित कार्यों में लगाया जाता है।

10. उचित आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता :-

पुलिस प्रशासन के कार्मिक बुनियादी ढांचे, उचित परिवहन सुविधाओं की अनुपलब्धता, आधुनिक शस्त्रों एवं आवासीय सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण व्यापक समस्याओं का सामना करने के लिए विवश हैं।

11. उचित आवासीय सुविधा की अनुपलब्धता :-

उचित आवासीय सुविधाओं की अनुपलब्धता एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका सामना अधिकांश पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। देश में ऐसे बहुत कम पुलिस स्टेशन हैं, जहां कर्मचारियों के लिए उचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। पदस्थापना स्थल पर आवासीय सुविधाओं की कमी के कारण पुलिस कार्मिकों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने घर से पदस्थापना स्थल तक प्रतिदिन आने-जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यस्त और थकी हुई दिनचर्या होती है और पारिवारिक जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है जो अनुशासित बल के सदस्य के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है। स्थानीय लोग पुलिस अधिकारियों को आवास किराए पर देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे समय पर किराया नहीं देंगे और यहां तक कि उन्हें यह भी भय होता है कि पुलिस अधिकारी समय पर उनके परिसर को खाली नहीं करेंगे।

12. चौबीसों घंटे ड्यूटी से संबंधित चुनौतियां :-

पुलिस अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपरिभाषित और अस्पष्ट लंबे समय तक ड्यूटी के घंटों के कारण उन्हें 18-20 घंटे तक काम करना पड़ता है, जो कि हतोत्साहित करने वाला और थका देने वाला है। लंबे समय तक ड्यूटी के कारण उन्हें स्वास्थ्य, परिवार और विभागीय स्तर से संबंधित कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है।

13. पुलिस के कामकाज, पदस्थापना, पदोन्नति और स्थानांतरणों में बाहरी हस्तक्षेप की समस्याएं :-

पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती एक अन्य महत्वपूर्ण समस्याग्रस्त मुद्दा है जिसके निवारण की दिशा में नीतिगत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पुलिस अधिकारियों को बिना किसी तर्क के कई बार स्थानांतरित किया जाता है। कई स्थानों पर देखने में आता है कि दागी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को प्रमुख पदों पर तैनात किया जाता है, जो अन्य ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करते हैं। तबादलों और पोस्टिंग में अविश्वसनीयता और समय की पाबंदी न होने से इस माहौल के कारण अक्सर यह देखा जाता है कि भ्रष्ट और अनैतिक अधिकारियों को राजनेताओं की सिफारिशों पर पोस्टिंग दी जाती है जो आगे इन अधिकारियों को उनके निर्देश पर उनकी इच्छा के अनुसार काम करवाते हैं।

14. जवाबदेही का अभाव :-

आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अनुसंधान जैसे महत्वूर्ण विधिक दायित्व के निर्वहन में पुलिस की विफलता या खराब तरीके से किये गए विसंगतिपूर्ण अनुसंधान के संबंध में पुलिस की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई किए जाने

संबंधी कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं। जब हम अपराधों के बेहतर अनुसंधान और अपराध नियंत्रण में पुलिस की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो जवाबदेही एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। लेकिन यदि पुलिस अनुसंधान जानबूझकर विसंगतिपूर्ण या खराब तरीके से किया जाता है तो पुलिस अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराये जाने के संबंध में विधिक प्रावधान या प्रक्रिया निर्धारित नहीं हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि पुलिस को अधिक जवाबदेह होना चाहिए। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस की जवाबदेही की जो परिकल्पना की थी उसमें कहा गया था कि पुलिस की जवाबदेही आमजन के प्रति, कानून के प्रति और पुलिस संगठन के प्रति त्रिआयामी होती है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का व्यापक रूप से स्वागत किया गया, लेकिन इनका केंद्र और राज्यों पर कोई विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है।

अनुसंधान एजेंसी अर्थात पुलिस की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए अनुशंसित सुझाव :-

1. पुलिस कार्यबल स्टाफ की नियुक्ति, आधारभूत सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचे के विकास में गुणात्मक सुधार -

अनुसंधान एजेंसी के पास पर्याप्त पुलिस कार्यबल अर्थात् पुलिस कार्मिक नहीं हैं। इसलिए आपराधिक न्याय-प्रणाली की कार्यदक्षता एवं प्रभावशीलता में गुणात्मक सुधार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्राथमिकता के आधार पर पुलिस स्टाफ की नियुक्ति की निष्पक्ष एवं पारदर्शी समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की जाये। पुलिस संगठन की आधारभूत सुविधाओं एवं बुनियादी ढाँचे के विकास पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है।

2. विशिष्ट कौशल एवं पेशेवर विशेषज्ञता के अनुरूप पुलिस प्रशिक्षण -

प्रशिक्षण प्रभावी और जिम्मेदार पुलिसिंग की नींव है। समाज की समकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशिक्षण को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण को विशिष्ट कौशल और पेशेवर विशेषज्ञता के अनुरूप बनाये जाने के स्ट्रक्चर्ड प्रयास किए जाने चाहिए। प्रशिक्षण में संचार, कौशल, मानवाधिकार, लिंग संवेदीकरण के पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए और हमारी जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के मूल्य पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पुलिस कार्मिकों को समुदाय के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस कार्मिकों को विज्ञान, डीएनए परीक्षण, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद से सुरक्षा, संगठित अपराध, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, दंगा नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों के मामले आदि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रमों की रचना की जानी चाहिए।

3. पुलिस की एक पृथक विंग का स्वतंत्र अनुसंधान एजेंसी के रूप में विकास -

देश में पुलिस प्रशासन के समक्ष वीआईपी सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां दिन प्रतिदिन के रूप में विद्यमान रहती हैं। जिसके चलते पुलिस को आपराधिक मामलों का समयबद्ध तरीके से अनुसंधान करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसलिए पुलिस बल को दो भागों (विंग) में विभाजित किया जाना चाहिए - एक क़ानून-व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए एवं दूसरा अनुसंधान कार्य को संचालित करने के लिए। अनुसंधान कार्य का संचालन करने वाली पुलिस विंग योग्य, अनुभवी और प्रौद्योगिकी में निपुण होनी चाहिए।

4. पुलिस अधिकारियों के लिए सर्वोत्तम कार्य वातावरण विकसित करना -

पुलिस अधिकारियों को उचित आराम और संतुष्टि के साथ सर्वोत्तम कार्य वातावरण मिल सके इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पुलिस अधिकारियों के कार्य-निष्पादन के लिए एक स्थायी शिफ्ट सिस्टम अपनाया जाना और अनावश्यक कार्यों के कार्यवितरण से उन्हें पृथक रखा जाना इस दिशा में प्रासंगिक रहेगा। पुलिस अधिकारियों का मनोबल ठीक रहने से वे अनुसंधान अधिकारी के रूप में उत्साह के साथ काम कर सकेंगे।

5. मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाना -

मानवाधिकारों के मुद्दे पर पुलिस के व्यवहार में गतिशील बदलाव लाने की आवश्यकता है। नागरिकों के मानवाधिकारों के सम्मान की दिशा में पुलिस के उन्मुखीकरण के लिए व्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों को लेकर जागरूकता का संचार करने के स्ट्रक्चर्ड प्रयास पुलिस अधिकारियों के मध्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि समय-समय पर होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके।

6. पुलिस को रचनात्मक एवं जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता :-

आपराधिक प्रकरणों में पुलिस की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के चलते पुलिस की भूमिका को फिर से परिभाषित किए जाने और पुलिस प्रशासन को रचनात्मक भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार किए जाने की आवश्यकता है। निहित स्वार्थों के साथ अपराध के संबंध में कथानक गढ़ने एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के पक्ष में खड़े होने के बजाय पुलिस को अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) को इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए जो न्यायालय की सहायता कर सके और न्याय के हित में हो। कानून के शासन द्वारा शासित लोकतांत्रिक समाज में पुलिसिंग वास्तव में एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस सुधार आवश्यक हैं विशेषकर पुलिस की जवाबदेही निर्धारित करने संबंधी पुलिस सुधारों की नितांत आवश्यकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय पुलिस को अतीत में औपनिवेशिक शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित किया गया था। औपनिवेशिक शासन के परिवेश से लेकर अब लोकतांत्रिक परिवेश में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए अब पुलिस को आज की जरूरतों के अनुसार कार्यक्षेत्र, कुशल और जवाबदेह बनाए की आवश्यकता है।

7. संभावित आपराधिक गतिविधि का पता लगाने और सामुदायिक भावना का आकलन करने में सोशल मीडिया का उपयोग -

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया ने लोगों को एक-दूसरे के साथ सटीक और भरोसेमंद तरीके से संवाद करने की क्षमता दी है। इसलिए पुलिस को सामुदायिक भावना का आकलन करने, किसी भी संभावित आपराधिक गतिविधि का पता लगाने, बड़े पैमाने पर गतिविधियों के बारे में सूचित रहने के लिए यह पता होना चाहिए कि उन्हें कब और कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैक करना है। पुलिस विभाग की गतिविधियों और अपराध निवारण के प्रयासों के बारे में जनता को जागृत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे - फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करके भी सार्वजनिक जानकारी एकत्र की जा सकती है।

निष्कर्ष -

राष्ट्र की सभ्यता की गुणवत्ता काफी हद तक आपराधिक विधियों के प्रवर्तन से मापी जाती है। आपराधिक न्याय प्रणाली की सफलता में ही विधि के शासन, लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों की सफलता निहित होती है। प्रत्येक सभ्य समाज में पुलिस बल को अपराधी की दोषसिद्धि के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत दण्डित कराए जाने के लिए अपराध के अनुसंधान की शक्तियां प्रदान की गईं हैं। यह समाज के हित में है कि अनुसंधान एजेंसी को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, उद्देश्यपरक रूप से कार्य करना चाहिए। लोकतांत्रिक परिवेश में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए अब पुलिस को आज की जरूरतों के अनुसार कुशल, कार्यदक्ष एवं जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ :-

1. S.K. Chaturvedi, "Role of Police in Criminal Justice System", BR Publishing Corporation, Delhi, 1996.
2. J.C. Chaturvedi, Police Administration and Investigation of Crime, Isha Books, Delhi (2006)
3. डॉ. कृष्ण मोहन माथुर, विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (1989)
4. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025, https://indiajusticereport.org/rankings/ijr-4/police वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध।
5. पुलिस संगठनों के आँकड़े (Data on Police Organizations) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2025-12/FinalReportEng_22122025.pdf पर ऑनलाइन उपलब्ध।
6. डॉ. वीरेंद्र सिंह बघेल, भारतीय पुलिस व्यवस्था, सुयोग्य प्रकाशन, नई दिल्ली (2013)
7. H.R.Bhardwaj, The Criminal Justice System in India, Konark Publishers Pvt. Ltd., New Delhi (2019)
8. राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1979-81) की रिपोर्ट्स
9. Malimath Committee रिपोर्ट (Committee on reforms of Criminal Justice System,2003). Available online at ://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-08/criminal_justice_system%5B1%5D.pdf
10. Arvind Verma, The Indian Police : A Critical Evaluation, Regency Publication (2019)